न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या – 39/2023–24

केश का प्रकार – सी0एन0टी0 एक्ट 46

आदेश की क्र0सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षरी	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
	आवेदक भुगलू खड़िया, पिता – स्व0 माको खड़िया, जाति – खड़िया, ग्राम– कलिगा, पोस्ट– कोनबीर,नवाटोली थाना – बसिया, जिला –गुमला (झारखण्ड) स्थित थाना सं0– 140 मौजा – कलिगा खाता सं0– 65, प्लॉट सं0 – 1505, रकबा – 1.42 एकड में से 0.22½ एकड़ भूमि को **क्रेता** कामिल तिर्की, पिता– स्व0 विक्टोर तिर्की, जाति – उरॉव, ग्राम – लोंगा, पोस्ट– लोंगा, थाना – बसिया, जिला – गुमला के साथ बिक्री/ वसीयत/ बक्सीस करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया गया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया।	

भूमि का विवरणी

राजस्व ग्राम	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	जमीन का किस्म
कलिगा	~~140~~ 141	65	1505	1.42 एकड में से 0.22 ½ एकड़	बालको टांड

कुल 0.22 ½ एकड़

प्लॉट सं0– 1505 की चौहदी –

उतर में – एतवा कुम्हार का टॉड, दक्षिण में – एलिस डुँगडुँग का टॉड।

पूरब में – सुषमा सवनम का टॉड, पश्चिम में – नीज क्रेता।

जमीन विक्रेता की विवरणी

भुगलू खड़िया, पिता – स्व0 माको खड़िया, जाति – खड़िया, ग्राम – कलिगा, पोस्ट– कोनबीर,नवाटोली, थाना – बसिया, जिला –गुमला (झारखण्ड)

जमीन क्रेता की विवरणी

कामिल तिर्की, पिता– स्व0 विक्टोर तिर्की जाति – उरॉव, ग्राम – लोंगा, पोस्ट– लोंगा, थाना – बसिया, जिला – गुमला (झारखण्ड)

आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित क्रेता **कामिल तिर्की**, पिता– स्व0 विक्टोर तिर्की जाति – उरॉव, ग्राम – लोंगा, पोस्ट– लोंगा, थाना – बसिया, जिला – गुमला (झारखण्ड) से मो0 1,00,000.00 (एक लाख) रूपये पर बिक्री करने का तय हुआ है। आवेदक को सख्त जरूरी वास्ते मकान बनाने वो दीगर काम के लिए रूपय की आवश्यकता है के कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे हैं। अंचल अधिकारी, बसिया को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम इश्तेहार निर्गत किया गया।

आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित केता **कामिल तिर्की**, पिता– स्व0 विक्टोर तिर्की जाति – उरॉव, ग्राम – लोंगा, पोस्ट– लोंगा, थाना – बसिया, जिला – गुमला (झारखण्ड) से मो0 1,00,000.00 (एक लाख) रूपये पर बिकी करने का तय हुआ है। आवेदक को सख्त जरूरी वास्ते मकान बनाने वो दीगर काम के लिए रूपय की आवश्यकता है के कारण ही आवेदक भूमि की बिकी कर रहे हैं। अंचल अधिकारी, बसिया को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम इश्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, बसिया के कार्यालय पत्रांक – 460 दिनांक – 05.10.2023 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके कारण आवेदक को जमीन बिकी करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। उक्त भूमि के बिकी के बाद भी आवेदक के पास प्रर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवदेक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखत किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भू–बन्दोबस्ती, भू–हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू–अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनों पक्ष **अनुसूचित जन जाति** के समुदाय के अन्तर्गत खड़िया वो उरॉव जाति के हैं साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

अतः अंचल अधिकारी, बसिया के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक **भुगलू खड़िया,** पिता – स्व0 माको खड़िया, जाति – खड़िया, ग्राम– कलिगा, पोस्ट– कोनबीर,नवाटोली, थाना – बसिया, जिला –गुमला (झारखण्ड) को उपरोक्त वर्णित राशि 1,00,000.00 (एक लाख) रूपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिकी करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एत्त द्वारा ....अनुमति.... प्रदान की जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावी नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित ।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)।

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2024.07.03 18:20:53 +05:30
Location: 192.168.1.3